



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62652-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 4454/2026

विद्यांशु पांडे उर्फ नीरज और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: प्रमोद शुक्ला, रमेश कुमार तिवारी

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: अदिति पांडे, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

- हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार तिवारी, राज्य/प्रतिवादी 1 से 3 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान एजी.ए. और प्रथम सूचनाकर्ता/प्रतिवादी-4 का प्रतिनिधित्व कर रही श्रीमती अदिति पांडे की ब्रीफ धारक अधिवक्ता श्री अंकित यादव की दलीलें सुनीं।
- हमने अभिलेखों का अवलोकन किया।
- याचिकाकर्ता विद्यांशु पांडे उर्फ नीरज और 3 अन्य ने प्रथम सूचनादाता-प्रतिवादी-4, प्रेम शंकर पांडे द्वारा दिनांक 08.06.2021 को दर्ज कराई गई और धारा 323 और 147 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा अपराध संख्या 0449/2021 के रूप में पुलिस स्टेशन-नवाबगंज, जिला-गंगानगर (कमिश्नर कार्यालय प्रयागराज) में पंजीकृत एफआईआर को चुनौती देते हुए इस आपराधिक विविध रिट याचिका के माध्यम से न्यायालय का रुख किया है।
- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित एफआईआर को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त एफआईआर दर्ज होने के बाद, पक्षों ने न्यायालय के बाहर सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 3 और 4 के पिता और प्रथम सूचनादाता/प्रतिवादी-4 के पिता सगे भाई थे। पक्षों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

उनके बीच सुलह हो गई थी। इसके बाद, पक्षों द्वारा किए गए समझौते की शर्तों को दिनांक 19.05.2025 के समझौते के हलफनामे के रूप में लिखित रूप में दर्ज किया गया। समझौते के हलफनामे की फोटोकॉपी रिकॉर्ड में शामिल की गई है और इसे पेपर बुक के पृष्ठ 25 पर संलग्न किया गया है।

5. उपरोक्त आधार पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि पक्षों के बीच का विवाद पूरी तरह से निजी विवाद है, न कि राज्य या समाज के विरुद्ध कोई अपराध। उपरोक्त के मददेनजर, पक्षों द्वारा किए गए समझौते को स्वीकार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पक्षों द्वारा किए गए समझौते का पालन किया जा चुका है। इसलिए याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि पक्षों ने समझौता कर लिया है, इसलिए आक्षेपित एफ.आई.आर. के तहत याचिकाकर्ताओं के आपराधिक अभियोजन को लंबा खींचने से कोई लाभ नहीं होगा। पक्षों द्वारा किए गए समझौते के मददेनजर, अभियुक्त याचिकाकर्ताओं के दोषी ठहराए जाने की संभावना न केवल नगण्य है, बल्कि बहुत कम है। यदि अभियुक्त/याचिकाकर्ताओं के आपराधिक अभियोजन को जारी रहने दिया जाता है, तो इससे केवल जनता के समय और धन की हानि होगी। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आक्षेपित एफ.आई.आर. को इस न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।

6. इसके विपरीत, राज्य-प्रतिवादी 1, 2 और 3 के विद्वान ए.जी.ए. ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका के समर्थन में दिए गए तर्कों का विरोध नहीं किया। विद्वान ए.जी.ए. का कहना है कि चूंकि शिकायत किया गया अपराध पूरी तरह से निजी प्रकृति का है और राज्य या समाज के विरुद्ध अपराध नहीं है, इसलिए यदि इस रिट याचिका का निर्णय इस न्यायालय द्वारा पक्षों द्वारा किए गए समझौते के अनुसार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

7. प्रथम सूचनाकर्ता/प्रतिवादी-4 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित यादव ने प्रस्तुत किया कि उन्हें वर्तमान रिट याचिका का विरोध न करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। यह रिकॉर्ड पर एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रथम सूचनाकर्ता/प्रतिवादी-4 ने अभियुक्त याचिकाकर्ताओं के साथ समझौता कर लिया है। प्रथम सूचनाकर्ता/प्रतिवादी-4 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि प्रथम सूचनाकर्ता/प्रतिवादी-4 ने स्वयं अभियुक्त याचिकाकर्ताओं के साथ

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



समझौता कर लिया है और उक्त समझौते पर अमल किया जा चुका है, क्योंकि जिला प्रयागराज के आयुक्त कार्यालय के डी.सी.पी. (गंगानगर) के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि इस रिट याचिका का निर्णय इस न्यायालय द्वारा पक्षों द्वारा किए गए समझौते के आलोक में किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

8. चाहे जो भी हो, मुख्य बात यह है कि पक्षों ने एक समझौता किया है, जिस पर अमल किया जा चुका है। यह न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अवगत है:

- i. बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003) 4 एससीसी 675
- ii. मदन मोहन एबॉट बनाम पंजाब राज्य (2008) 4 एससीसी 582
- iii. निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय विवेचना ब्यूरो (2008) 9 एससीसी 677
- iv. मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य (2008) 16 एससीसी 1
- v. शिजी @ पप्पू और अन्य बनाम राधिका और अन्य, (2011) 10 एससीसी 705
- vi. ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303
- vii. के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा, (2013) 5 एससीसी 226
- viii. दिम्पे गुजराल और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश, प्रशासक, चंडीगढ़ और अन्य, (2013) 11 एससीसी 497
- ix. नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466
- x. योगेंद्र यादव और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2014) 9 एससीसी 653
- xi. श्लोक भारद्वाज बनाम रुनिका भारद्वाज, (2015) 2 एससीसी 721
- xii. सीबीआई बनाम मनिंदर सिंह (2016) 1 एससीसी 389
- xiii. सीबीआई बनाम साधु राम सिंगला और अन्य, (2017) 5 एससीसी 350
- xiv. परबतभाई अहीर @ परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2017) 9 एससीसी 641
- xv. अनीता मारिया डायस और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2018) 3 एससीसी 290

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



xvi. मानव अधिकार के लिए सामाजिक कार्यवाई मंच और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2018) 10 एससीसी, 443 (संविधान पीठ)

xvii. मध्य प्रदेश राज्य बनाम ध्रुव गुर्जर और अन्य, (2019) 5 एससीसी 570

xviii. मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, (2019) 5 एससीसी 688

xix. रामपाल बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर ऑनलाइन 2019 एससी 1716

xx. अरुण सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2020) 3 एससीसी 736

xxi. (रामगोपाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य), 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 834

xxii. दक्षबेन बनाम गुजरात राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन 936.

xxiii. केरल राज्य बनाम हाफसल रहमान एन.आर., विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 24362/2021.

xiv. शत्रुघ्न आत्माराम पाटिल और अन्य बनाम विनोद दोधु चौधरी और अन्य, (2024) 4 एससीसी 458.

xv. सूरज सिंह गुर्जर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2414.

xvi. के. भारती देवी और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य, (2024) 10 एससीसी 384।

xvii. रामजी लाल बैरवा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3193।

xviii. एच.एन. पांडाकुमार बनाम कर्नाटक राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 38।

जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ संज्ञेय और गैर-समझौता योग्य अपराधों के संबंध में भी पक्षों के बीच समझौता किया जा सकता है। हालांकि, **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण (उपरोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समाज के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता क्योंकि वे निजी प्रकृति के नहीं होते हैं। इसी प्रकार **राम पाल बनाम हरियाणा राज्य (उपरोक्त)** मामले में यह कहा गया है कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने **दक्षबेन (उपरोक्त)** मामले में यह निर्णय दिया है कि धारा 306 आईपीसी के अंतर्गत मामलों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। **केरल राज्य बनाम हाफसल रहमान (उपरोक्त)** मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि पीओसीएसओ अधिनियमों के अंतर्गत मामलों में

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, इस न्यायालय द्वारा शैफुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2013 (83) एसीसी 278] मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त कुछ मामलों में प्रतिपादित कानून को विस्तार से समझाया गया है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने परबतभाई अहीर @ परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मुर (उपरोक्त) मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और आपराधिक कार्यवाही में समझौते के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश रिपोर्ट के पैराग्राफ 16 से 16.10 में दिए हैं, जो इस प्रकार हैं:

“16. इस विषय पर पूर्व निर्णयों से उभरने वाले व्यापक सिद्धांतों को निम्नलिखित प्रस्तावों में संक्षेपित किया जा सकता है:

16.1. धारा 482 किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करती है। यह प्रावधान नई शक्तियां प्रदान नहीं करता है। यह केवल उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है;

16.2. अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता हो जाने के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना, किसी अपराध के समझौते के उद्देश्य से क्षेत्राधिकार के प्रयोग के समान नहीं है। किसी अपराध का समझौता करते समय, न्यायालय की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। धारा 482 के तहत रद्द करने की शक्ति तब भी लागू होती है जब अपराध समझौता योग्य न हो।

16.3. धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी आपराधिक कार्यवाही या शिकायत को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, इस संबंध में राय बनाते समय उच्च न्यायालय को यह मूल्यांकन करना होगा कि क्या न्याय के उद्देश्य अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराएंगे;

16.4. यद्यपि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का व्यापक दायरा और पूर्णता है, फिर भी इसका प्रयोग (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए;

16.5. इस आधार पर कि अपराधी और पीड़ित ने विवाद का निस्तारण कर लिया है, शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने का निर्णय अंततः प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सिद्धांतों का कोई संपूर्ण विवरण तैयार नहीं किया जा सकता है;

16.6. धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय और विवाद के निस्तारण की दलील पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित ध्यान रखना चाहिए। मानसिक विकृति से जुड़े जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार ने विवाद का निस्तारण कर लिया हो। वास्तव में, ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते बल्कि समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। ऐसे मामलों में मुकदमे को जारी रखने का निर्णय गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को दंडित करने में सार्वजनिक हित के सर्वोपरि तत्व पर आधारित होता है;

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

16.7. गंभीर अपराधों से भिन्न, ऐसे आपराधिक मामले हो सकते हैं जिनमें दीवानी विवाद का प्रबल या प्रमुख तत्व हो। रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के संबंध में वे एक अलग स्थिति में होते हैं;

16.8. वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, साझेदारी या इसी तरह के लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अपराधों से संबंधित आपराधिक मामलों को, जिनका मूल स्वरूप दीवानी जैसा होता है, उचित परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है यदि पक्षों ने विवाद का निस्तारण कर लिया हो;

16.9. ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि विवाद करने वालों के बीच हुए समझौते को देखते हुए, दोषसिद्धि की संभावना नगण्य हो और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उत्पीड़न और पूर्वाग्रह उत्पन्न हो; और

16.10. उपरोक्त प्रस्ताव 16.8 और 16.9 में प्रतिपादित सिद्धांत का एक अपवाद है। राज्य की वित्तीय एवं आर्थिक भलाई से जुड़े आर्थिक अपराधों के निहितार्थ निजी विवादकर्ताओं के बीच मात्र विवाद के दायरे से परे होते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में कार्यवाही रद्द करने से इनकार करना उचित होगा जहां अपराधी वित्तीय या आर्थिक धोखाधड़ी या दुराचार के समान गतिविधि में शामिल हो। शिकायत किए गए कृत्य के वित्तीय या आर्थिक प्रणाली पर पड़ने वाले परिणामों को ध्यान में रखा जाएगा।

हाल ही में रामगोपाल और अन्य (उपरोक्त) मामले में, न्यायालय ने समझौते के मददेनजर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के संबंध में दिशानिर्देशों को फिर से दोहराया है। पैराग्राफ 18-19 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:-

"18. यह अब एक सर्वविदित सिद्धांत है कि अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए इस न्यायालय के पूर्ण क्षेत्राधिकार को सामान्य वैधानिक प्रावधानों द्वारा स्वतः सीमित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के समान कोई स्पष्ट प्रावधान न होने के बावजूद, जो सर्वोच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और निरस्त करने की शक्तियाँ प्रदान करता हो, संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ इस न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती हैं। ऐसा करते समय, आपराधिक न्याय प्रणाली में सजा सुनाने के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो सामूहिक शांति बनाए रखने के उच्च आदर्श पर आधारित है, और किसी व्यक्ति को जेल में डालने का उद्देश्य उसका सुधार करना है।

19. अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं और यह मानते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के विपरीत, जहाँ न्यायालय वैधानिक ढांचे के भीतर 'समझौते योग्य' अपराधों के संबंध में पक्षों के बीच हुए समझौते से पूरी तरह निर्देशित होता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त असाधारण शक्ति या संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की सीमाओं से परे किया जा सकता है। फिर भी, हम दोहराते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संदर्भ में ऐसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए, सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए: (i) अपराध की प्रकृति और समाज की चेतना पर उसका प्रभाव; (ii) यदि कोई चोट है तो उसकी गंभीरता; (iii) अभियुक्त और पीड़ित के बीच समझौते की स्वैच्छिक प्रकृति; एवं (iv) कथित अपराध के घटित होने से पूर्व और पश्चात अभियुक्तों का आचरण तथा/या अन्य प्रासंगिक विचार।"

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि केवल धारा 307 आईपीसी का उल्लेख कार्यवाही को रद्द न करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। न्यायालय को यह विवेचना करनी होगी कि क्या अभियोजन पक्ष ने धारा 307 आईपीसी के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए हैं। न्यायालय को आगे प्रयुक्त हथियारों और चोट की प्रकृति की विवेचना करनी होगी तथा यह भी देखना होगा कि क्या शरीर के महत्वपूर्ण/नाजुक अंगों पर चोट लगी है, अभियुक्तों का पूर्व रिकॉर्ड क्या है, क्या वे फरार हैं तथा पक्षों द्वारा समझौता कैसे कराया गया, ये सभी प्रासंगिक कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 से 18 में दिए गए विवरण से उपरोक्त टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से समझी जा सकती हैं।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी 1, 2 और 3 के विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रथम सूचनादाता-प्रतिवादी-4 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद, अभिलेखों का अवलोकन करने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा उपरोक्त उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय पाता है कि पक्षों द्वारा किए गए समझौते को स्वीकार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, क्योंकि पक्षों के बीच विवाद निजी प्रकृति का है और राज्य या समाज के विरुद्ध अपराध नहीं है। पक्षों द्वारा किए गए समझौते को देखते हुए, अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के दोषसिद्धि की संभावना न केवल नगण्य है, बल्कि बहुत कम है। ऐसे में, कार्यवाही जारी रखना स्वयं पक्षों के साथ अन्याय होगा। मुकदमा केवल न्यायिक समय की व्यर्थ बर्बादी होगी, विशेष रूप से तब जब मुकदमों की बाढ़ न्यायालयों को अकल्पनीय रूप से भर देती है।

11. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार किए जाने योग्य है।

12. यह रिट याचिका, तदनुसार, स्वीकार की जाती है।

13. प्रथम सूचनादाता-प्रतिवादी-4, प्रेम शंकर पांडे द्वारा दिनांक 08.06.2021 को दर्ज कराई गई और मुकदमा अपराध संख्या 0449/2021 के रूप में धारा 323 और 147 भारतीय दंड संहिता के तहत पुलिस स्टेशन-नवाबगंज, जिला-गंगानगर (कमिश्नर कार्यालय प्रयागराज) में पंजीकृत एफआईआर (रिट याचिका का अनुलग्नक-1) रद्द की जाती है।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, दोनों पक्ष अपना-अपना खर्च वहन करेंगे।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव मिश्रा, न्यायमूर्ति)

25 मार्च 2026

वाई.के

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"